3041

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP92955306144962X

SUMIT CHATURVEDI
ACC ID-UP14104004
MATHURA

e-Stamp

23746

Certificate No.	:	IN-UP92955306144962X
Certificate Issued Date	:	14-Oct-2025 12:38 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14104004/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14104004831142553OO294X
Purchased by	:	SATI JABDE PUBLIC HEALTH AND EDUCATIONAL TRUST
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	MAUJA MEERPUR DISTT MATHURA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SATYAPAL AND OTHER
Second Party	:	SATI JABDE PUBLIC HEALTH AND EDUCATIONAL TRUST
Stamp Duty Paid By	:	SATI JABDE PUBLIC HEALTH AND EDUCATIONAL TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	13,000 (Thirteen Thousand only)

मूल विलेख ... किया गया
पेज सं0 ....12.......
नि0 सं0 ....

उ0 नि0 प्रथम
सदर, मथुरा

Please write or type below this line

सत्यपाल

लोकेश

रवजान सिंह

Prag Sharma

PF 0015398145

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

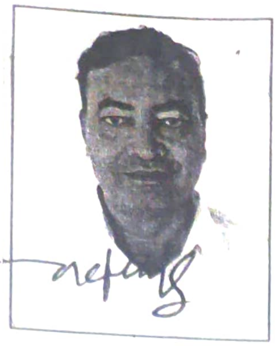

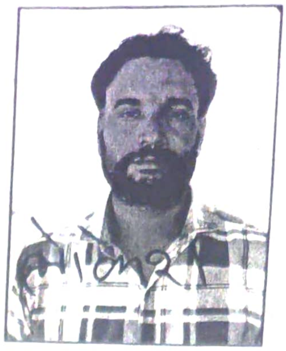

{2}

॥ श्रीहरिः ॥

पट्टा म्यादी - 12 साल

किराया-1,27,000/-रूपये प्रति वर्ष

विकास शुल्क क्षेत्र के बाहर होने के कारण स्टाम्प देय-13,000/-रु.

क्षेत्र उपनिबन्धक द्वितीय मथुरा

कोड नं0-

हम कि मिहीलाल उर्फ महिपाल सिंह पुत्र श्री भूप सिंह निवासी–परखम, तहसील व जिला मथुरा मो0–7017096287 PAN-GVXPS7385N व सत्यपाल पुत्र श्री भूप सिंह निवासी–परखम, तहसील व जिला मथुरा मो0–9756853824 PAN-JHLPS0807Q व लोकेश पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी–परखम, तहसील व जिला मथुरा मो0–8273084413 PAN-ATDPL6249E व खजान सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी–परखम, तहसील व जिला मथुरा मो0–6398895671 PAN-IJYPS1830R पट्टादाता प्रथम पक्ष व सती जाबदे पब्लिक हेल्थ एण्ड एजूकेशनल ट्रस्ट PAN-AAKTS3433P द्वारा अधिकृत पराग शर्मा पुत्र श्री रमेश चंदर शर्मा निवासी–मकान नं0–30 फर्स्ट फ्लोर, सी–ब्लाक, साऊथ सिटी–2 सैक्टर 49 गुडगांव हरियाणा मो0–9017545300 पट्टागृहीता द्वितीय पक्ष के हैं।

सत्यपाल

लोकेश

खजान सिंह

Parag Sharma

जो कि एक किता जमीन खाता नं0-107 खसरा नं0-313/1 रकबा 0.373 है0 लगानी 3.20 रूपया सालाना सम्पूर्ण अंश व खाता नं0-1 खसरा नं0-109/1 रकबा 2.181 है0 लगानी 57.80 रूपया सालाना में से रकबा 1.091 है0 सम्पूर्ण अंश व खाता नं0-10 खसरा नं0-268 रकबा 0.194 है0 लगानी 4.10 रूपया सालाना में से रकबा 0.049 है0 सम्पूर्ण अंश व खाता नं0-10 खसरा नं0-318/3 रकबा 0.333 है0 लगानी 7.10 रूपया सालाना में से रकबा 0.0830 है0 सम्पूर्ण अंश व खाता नं0-10 खसरा नं0-109/3 रकबा 2.181 है0 लगानी 46.60 रूपया सालाना में से रकबा 0.5750 है0 सम्पूर्ण अंश इस प्रकार कुल रकबा 2.1410 है0 बाकै मौजा मीरपुर, तहसील व जिला मथुरा, मिल्कियत प्रथम पक्ष की है जिस आराजी खसरा नं0-313/1 में प्रथम पक्ष मिहीलाल रकबा 0.186 है0 व सत्यपाल रकबा 0.187 है0 कुल रकबा 0.373 है0 व खसरा नं0-109/1 में से प्रथम पक्ष सत्यपाल अपना रकबा 1.091 है0 व खसरा नं0-268 में से प्रथम पक्ष खजान सिंह रकबा 0.0245 है0 व प्रथम पक्ष लोकेश रकबा 0.0245 है0 कुल रकबा 0.049 है0 व खसरा नं0-318/3 में प्रथम पक्ष खजान सिंह रकबा 0.0415 है0 व प्रथम पक्ष लोकेश रकबा 0.0415 है0 कुल रकबा 0.083 है0 व खसरा नं0-109/3 में प्रथम पक्ष खजान सिंह रकबा 0.2725 है0 व प्रथम पक्ष लोकेश रकबा 0.2725 है0 कुल रकबा 0.545 है0 यानि कुल रकबा 2.1410 है0 बराबर 5 एकड़ 28 डि0 भूमि इस प्रलेख द्वारा द्वितीय पक्ष पट्‌टे पर दे रहे है। जिस पर प्रथम पक्ष का ही वास्तविक मालिकाना कब्जा है तथा प्रथम पक्ष का ही नाम सरकारी कागजात आदि में दर्ज है, जिस पर प्रथम पक्ष बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चले आते है। सिवाय प्रथम पक्ष के उक्त सम्पत्ति का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी भी जगह रहन व गिरवी आदि है और हर प्रकार से प्रथम पक्ष की पाक साफ सम्पत्ति है और प्रथम पक्ष को उक्त सम्पत्ति की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण व पट्टा आदि करने के पूरे अधिकार प्राप्त है और कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है जो प्रथम पक्ष को उक्त सम्पत्ति को हस्तान्तरण व पट्टा आदि करने में बाधा या रुकाबट डाल सके। द्वितीय पक्ष को उक्त सम्पत्ति की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष ने उक्त सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष को पट्‌टे पर दे देना तय किया है। द्वितीय पक्ष को भी उक्त सम्पत्ति की आवश्यकता है यानि 12 वर्ष की अवधि के लिये पट्टे पर लेने के लिए तैयार है, उक्त सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष को पट्टे पर देने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है।

अतः प्रथम पक्ष ने उक्त सम्पत्ति जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, को द्वितीय पक्ष को किराया 1,27,000/-रूपये प्रति वर्ष के हिसाब से पट्टे पर देना तय किया है और द्वितीय पक्ष भी उक्त सम्पत्ति को 12 साल की अवधि के लिए नीचे लिखी शर्तो के अनुसार पट्टे पर लेने को तैयार है और प्रथम पक्ष देने को तैयार है। अतः उक्त सम्पत्ति को प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के हक में निम्नलिखित शर्तो के अनुसार पट्टे पर दे रहा है, जिनकी पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके उत्तराधिकारी व पदाधिकारी व स्थानापन्नों पर होगी।

1. यह कि पट्टादाता प्रथम पक्ष ने पट्टेदार द्वितीय पक्ष को 12 वर्ष की अवधि हेतु यानि दिनांक 14.10.2025 से 12 वर्ष तक के लिये वर्णित सम्पत्ति को पट्‌टे पर दिया है और पट्टादार ने उक्त 12 वर्ष की अवधि के लिए लेना स्वीकार किया है, जिसके हम दोनों पक्षकारगण व उनके कायम मुकामान वारिसान व स्थानापन्न सदैव पाबन्द रहेंगे।

सत्यपाल लोकेश

खजान सिंह Pragshan

2. यह कि भाडा 1,27,000/-रूपये प्रति वर्ष तय हुआ है। जिसको द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को अदा कर रसीद प्राप्त करता रहेगा तथा भूभाडे में भविष्य में सहमति के अनुसार कमी वेशी की जा सकेगी और किसी भी सूरत में पट्टादाता प्रथमपक्ष अथवा उसके स्थानापन्न पट्टेदार या वारिसान पट्टेदार को अथवा उसके स्थानापन्न को पट्टेदार इस प्रलेख की शर्तो का पालन किये जाते रहने व बदस्तूर किराया अदा किये जाने की दशा में उक्त अवधि 12 साल तक बेदखल न कर सकेंगे।

3. यह कि पट्टे पर दी गयी सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष ने, द्वितीय पक्ष का बहैसियत पट्टेदार कब्जा करा दिया और द्वितीय पक्ष ने बहैसियत पट्टेदार कब्जा प्राप्त कर लिया है। द्वितीय पक्ष को अधि ाकार होगा कि वह पट्टे पर ली गयी सम्पत्ति को मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, फार्म हाऊस, कृषि लाइव स्टोक फार्म के प्रयोग में लावें व अपनी सुविधानुसार निर्माण आदि करे व पट्टा अवधि में उक्त सम्पत्ति पर आयद समस्त देय टैक्स व बिल आदि को अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी किन्तु किसी भी दशा में पट्टेदार उक्त सम्पत्ति में कोई विधि विरूद्ध कार्य नहीं करेगा और पट्टा अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष को अपने पट्टा हकूक हस्तान्तरित करने के अधिकार प्राप्त होंगें।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह पट्टे पर दी गयी सम्पत्ति पर बहैसियत पट्टेदार काबिज होकर अपने प्रयोग में लावे व जो चाहे सो करे व द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि उपरोक्त भूमि पर नल कनैकशन आदि लगवायें व बिजली का कनैक्शन ले तथा पट्टा अवधि ा में उक्त विधुत कनैक्शन आदि से सम्बन्धित देय टैक्स व बिल आदि को अदा करे ।

5. यह कि अगर कभी कोई व्यक्ति पट्टे पर दी गयी सम्पत्ति की बाबत दावा या झगडा उत्पन्न करे और जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष से निकल जावे तो प्रथम पक्ष की ऐसी दशा में हर प्रकार से पूरी जिम्मेदारी होगी।

6. यह कि यह पट्टा प्रलेख सिर्फ 12 वर्षो की म्याद के लिये ही यानि दिनांक 14.10.2025 से 12 वर्ष तक की म्याद के लिये ही लिखा जा रहा है। किन्तु दोनों पक्षों की सहमति से पट्टे का नवीनीकरण हो सकेगा जिसकी लिखापढ़ी पृथक रूप से पंजीकृत होगी। यह पट्टा विलेख सभी पंच पंचान बिरादरी व न्यायालय आदि में भी मान्य होगा।

7. यह कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से पट्टा निरस्त करना चाहें तो म्याद से पूर्व पट्टा निरस्त करा सकते है।

8. यह कि उक्त म्याद पूर्ण होने के उपरान्त यह पट्टा विलेख स्वतः ही निरस्त अमान्य व शून्य हो जायेगा और अपना कब्जा हटाकर भूमि प्रथम पक्ष के सुपुर्द कर देंगें।

9. यह कि इस प्रलेख पट्टा का समस्त खर्चा स्टाम्प फीस आदि द्वितीयपक्ष ने वहन किया है।

अतः यह पट्टा म्यादी 12 साल दोनों पक्षों ने अपनी राजीखुशी से लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। यह प्रलेख दोनो पक्षो के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हे पढ़ा व सुनाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

दिनांक : 14.10.2024

टाईप किया : दीपक

ड्राफ्ट किया : प्रशान्त शर्मा एडवोकेट, मथुरा

PRASHA...
Adv...
(UP02497/02)

सत्यपाल

लोकेश

खजान सिंह

गवाह-हेमन्त पुत्र सत्यपाल
नि0-परखम मथुरा मो0-7668214790

हेमन्त

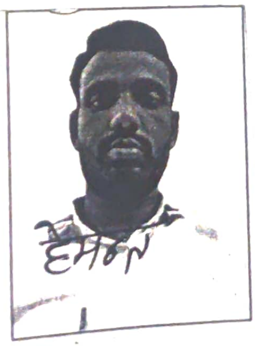

गवाह-गौरव पुत्र चन्दन
नि0-रहीमपुर मथुरा मो0-8218040489

गौरव

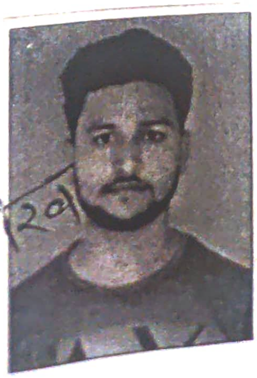

आवेदन सं०: 202500764062796

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 20683 के पृष्ठ 397 से 410 तक क्रमांक 23746 पर दिनाँक 14/10/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

P. Upadhyay

प्रदीप उपाध्याय प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा
14/10/2025

आवेदन सं०: 202500764062796

बही स०: 1

रजिस्ट्रेशन स०: 23746

वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री मिहीलाल उर्फ महिपाल सिंह, |MAHIPAL SINGH

पुत्र श्री भूप सिंह

निवासी: परखम मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 385N

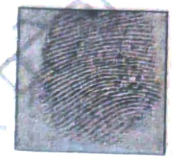

पट्टा दाता: 2

श्री सत्यपाल, |SATYAPAL

पुत्र श्री भूप सिंह

निवासी: परखम मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 807Q

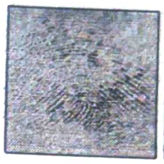

पट्टा दाता: 3

श्री लोकेश, |LOKESH

पुत्र श्री ओमप्रकाश

निवासी: परखम मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 249E

पट्टा दाता: 4

श्री खजान सिंह, |KHAJAN SINGH

पुत्र श्री ओमप्रकाश

निवासी: परखम मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 830R

पट्टा गृहीता: 1

श्री सती जाबदे पब्लिक हेल्थ एण्ड एजूकेशनल ट्रस्ट के द्वारा पराग शर्मा, |SATI JABDE PUBLIC HEALTH & EDUCATIONAL TRUST

पुत्र श्री रमेश चंदर शर्मा

निवासी: मकान नं०-30 फर्स्ट फ्लोर सी- ब्लाक साऊथ सिटी-2 सेक्टर-49 गुडगांव हरि०

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 433P

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश